राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
/18	05.01.2018	20.07.2018

अनुवान

प्रवीण कुमार पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी माजरी भाण्डा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:–वादी

वनाम

बलवान सिंह पुत्र नेमीचन्द जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:–प्रतिवादीगण

दावा– इश्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज.काश्त. अधि.

उपस्थिति :
श्री अशोक चौधरी–1 वकील–वादी

–::निर्णय::–

दिनांक:– 20.07.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। सुना गया। वादी के वादपत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख०नं० 1283/357 रकबा 0.22 का 1250/23716 भाग यानि 0.011595 है० वाके ग्राम सोडावास तह० मुण्डावर में

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

स्थित होकर विवादित आराजी 1283/357 रकबा 0.22 है0, प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी आराजी में से उक्त रकबा 1250/23716 भाग का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के दिनांक–24.04.15 को बएवज प्रतिफल मिन वादी को कर दिया तथा मौके पर कब्जा करा दिया लेकिन वादी के नाम के बयनामा का इंतकाल दर्ज नही हुआ। वक्त खरीद से ही खरीदशुदा आराजी पर वादी काबिज है तथा जायदाद का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में मध्यान्ति आ रही है जो अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड का खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बैजा फायदा उठाकर दीगर लोगो को मुन्तकिल करना चाहता है। दिनांक–04.12.17 को प्रतिवादी संख्या 1 ने मिन वादी के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा किया तथा बेदखल करने का प्रयास किया। मना किया तो धमकी दी कि आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम है। मै आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान कर दूंगा। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 से अपने नाम बयनामे के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत कहा तो असमर्थता जाहिर करते हुए सक्षम अदालत से इंतकाल दर्ज कराने बाबत कहा। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है निवेदन करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर मिन वादी को आराजी हाल ख0नं0 1283/857 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर में से 1250/23716 भाग यानि 0.011595 भाग का बयनामा दिनांक–24.04.2015 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी के हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ करने के आदेश दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वाद विधिवत तलवी प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रवीण कुमार पीडब्ल्यू1, छोटूराम पीडब्ल्यू2 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बयनामा दिनांक–24.04.15 प्रदर्श–1, जमाबन्दी संवत 2069–72 प्रदर्श–2 पेश किए। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वाद पत्र के समस्त जिम्मनो को दोहराते हुए मुताबिक बयनामा दिनांक–24.04.15 विवादित हिस्से आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने एवं वादी के हिस्से आराजी तक हाल राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात अर्थात बयनामा दिनांक–24.04.15 के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी संख्या 1 बलवान सिंह ने बएवज प्रतिफल प्राप्त कर मौका पर आराजी पर कब्जा करा दिये जाने का अंकन करते हुए वादी के पक्ष में बयनामा तस्दीक एवं पंजीबद्ध कराया हुआ है एवं मौखिक साक्ष्यो में भी साँक्ष्यो ने उक्तानुसार ही अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए है एवं बाद विधिवत तलवी प्रतिवादी की विचाराधीन पत्रावली में उपस्थित नहीं होने की स्थिति भी वादी के वाद की ताईद करती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में हाल ख0नं0 1283/357 रकबा 0.22 है0 का 1250/23716 भाग यानि 0.011595 है0 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत का वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं उक्त हिस्से आराजी की हद तक हाल राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजी में से वादी को 1250/23716 भाग यानि 0.011595 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

20.07.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
12/18	05.01.2018	20.07.2018

अनुवान

1. प्रवीण कुमार पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी माजरी भाण्डा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:–वादी

बनाम

1. बलवान सिंह पुत्र नेमीचन्द जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:–प्रतिवादीगण

दावा– इश्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज.काश्त. अधि.

वादी की ओर से **श्री अशोक चौधरी–1 एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 20.07.2018 को **महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–
" हाल ख0नं0 1283/357 रकबा 0.22 है0 का 1250/23716 भाग यानि 0.011595 है0 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत का वादी का वाद डिकी किया जाता है एवं उक्त हिस्से आराजी की हद तक हाले राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

आराजी में से वादी को 1250/23716 भाग यानि 0.011595 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 20.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

20.07.18

(महेश चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner